MJC R/1449/2026
Ram Vs Lasudiya
Crime Number 1582/2025

15.04.2026

आवेदक/सुपुर्ददार राम कनकुवर पिता बदरी, निवासी 78 वील बागनखेडा, तहसील कन्नौद, जिला देवास सहित श्री लक्की पोरवाल अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री अजय मिमरोट उपस्थित।

पत्रावली आवेदन पत्र विचारार्थ नियत है।

आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन पत्र 497–503 भा.ना.सु.सं. 2023 संक्षेप में इस प्रकार है कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य का वाहन क्रमांक एम.पी. 41 जेड. ई. 6155 को वह सुपुर्दनामें पर लेना चाहता है। प्रकरण के निकाल में काफी समय लगने की संभावना है, वाहन थाने पर रखे रहने से उसमें यांत्रिक खराबी आ जाने तथा उसके स्वरूप में परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना है। न्यायालय द्वारा आदेशित करने पर वह वाहन को न्यायालय के समक्ष हाजिर रखेगा तथा आदेश के समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उक्त वाहन को आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामें में प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

अभियोजन ने उक्त आवेदन का विरोध किया है।

केस डायरी एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि एक स्वामित्व एवं आधिपत्य का काले रंग का वाहन स्पलेण्डर क्रमांक एम.पी. 41 जेड.ई. 6155 को थाना लसुडिया, जिला इंदौर द्वारा अपराध क्रमांक 1582/2025 अन्तर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 115(2), 351(3) में अभियुक्त आनन्द पिता सीताराम कुलकर्णी, आयु 25 वर्ष, निवासी गली नंबर 01 मुक्तिधाम रोड, बिचौली मर्दाना, राहूल नगर, इदौर के आधिपत्य से जप्त की गई है। आवेदन के साथ वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं बीमा पालिसी की छायाप्रति प्रस्तुत है, (जिसे मूल से मिलान कर मूल आवेदक को वापस की गई) जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/सुपुर्ददार राम कनकुवर पिता बदरी, निवासी 78 वील बागनखेडा, तहसील कन्नौद, जिला देवास का वाहन स्पलेण्डर क्रमांक एम.पी. 41 जेड.ई. 6155 का पंजीकृत स्वामी है। उपरोक्त वाहन थाना परिसर में खुले स्थान पर रखे होने से उसमें खराबी

आने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। साथ ही प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए साक्ष्य के दौरान मोटरसाइकिल की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए उसे थाने में रखे जाने का कोई औचित्य भी नहीं है।

अतः प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि उसकी ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य **70,000/—रुपये (सत्तर हजार रूपए)** का सुपुर्दनामा निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने पर उसे उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर प्रदान की जाएः—

शर्तेः—

1. आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को प्राप्त करने के उपरांत वाहन के रंग रूप स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा।
2. प्रकरण के लंबित रहने के दौरान उसे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विक्रय नहीं करेगा।
3. न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर वह वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

पत्रावली का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित हो।

RAMA JAYANT MITTAL

Digitally signed by RAMA JAYANT MITTAL
Date: 2026.04.15 17:23:45 +0530

(श्रीमती रमा जयंत मित्तल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)

प्रतिलिपिः— आदेश की एक प्रति रिमाण्ड पत्रावली में संलग्न किए जाने बाबत् प्रेषित।

(श्रीमती रमा जयंत मित्तल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)